IQBAL AHMED RIZVI
CHAIRMAN (CABINET MINISTER)

GREAT EASTERN ROAD
RAIPUR (C.G.) 492001
PH : 0771-539266, 632266

CHHATTISGARH STATE MINORITY COMMISSION

Ref. No.

Date 22-09-20

अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा संचालित संस्था सम्बंधी प्रमाण –पत्र

भारत सरकार के अल्पसंख्यक एवं समाज कल्याण के एस.ओ.एन. ओ. 816 (ई) 23 अक्टूबर 1993 द्वारा घोषित निम्न अल्पसंख्यक समुदायों को मध्यप्रदेश राज्य आयोग अधिनियम 1996 की धारा (2)(ग) के अंतर्गत भी राज्य हेतु अल्पसंख्यक समुदाय मान्य किया जाता है। जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

1. मुस्लिम 2. क्रिश्चियन 3. सिख
4. बुद्धिष्ट 5. पारसी

छ.ग. राज्य अल्पसंख्यक आयोग की शिक्षण संस्था ***दि विद्या प्रोत्साहन संघ, रायपुर की सेंट विंसेंट पैलोटी महाविद्यालय शिक्षण संस्था*** के द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक ***1.9.2001*** और उससे संलग्न पंजीयक फर्म्स एवं सोसाइटी के पंजीयन क्र. पत्र एवं उनसे सत्यापित संस्था के संचालकों की सूची के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित संस्था का संचालन वर्तमान में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के द्वारा किया जा रहा है तथा यह संस्था अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा संचालित संस्था है।

22/09/01

अध्यक्ष
छत्तीसगढ़ राज्य
अल्पसंख्यक आयोग,
रायपुर

प्री.बी.एड.प्रवेश नियम

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय,दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 अप्रैल 2006

//अधिसूचना//

क्रमांक 5—5—20/2006 — राज्य शासन एतद् द्वारा प्रदेश में महाविद्यालय में बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा विस्तार—इन नियमों का नाम छत्तीसगढ़ बी.एड. प्रवेश नियम 2006 होगा। यह संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के सभी शासकीय एवं निजी बी.एड. पाठ्यक्रम संचालित करने वाले महाविद्यालयों पर लागू होंगे। यह तत्काल प्रभावशील होंगे।
2. परिभाषाएँ इन नियमों में जब तक कि संदर्भ द्वारा अन्यथा अभिप्रेरित न हो —

(क) **"राज्य शासन"** से तात्पर्य है, छत्तीसगढ़ शासन।

(ख) **"श्रेणी"** से तात्पर्य है, अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर)।

(ग) **"संवर्ग"** से तात्पर्य है, महिला, निःशक्त, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा भूतपूर्व सैनिक।

(घ) **"प्री बी.एड. परीक्षा"** से तात्पर्य है, बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा।

(ड.) **"संचालक"** से तात्पर्य है, संचालक राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्।

(च) "अनुदान प्राप्त **महाविद्यालय"** से तात्पर्य है, ऐसा महाविद्यालय जिसने कभी भी राज्य शासन के किसी भी प्रकार का अनुदान, अथवा चल—अचल संपत्ति की कोई सहायता प्राप्त की हो, और "गैर अनुदान प्राप्त महाविद्यालय" का तात्पर्य भी इसी अनुसार निकाला जाएगा।

[1](छ) गैर अनुदान प्राप्त अल्पसंख्यक महाविद्यालय से अभिप्रेत है कि ऐसे महाविद्यालय जो छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग द्वारा प्रमाणित हो तथा महाविद्यालय के न्यूनतम 50 प्रतिशत सीट धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के अभ्यार्थियों के लिए आरक्षित करते हों।

---

1. छ.ग. राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग की अधिसूचना क्रं. 18—44/20/2007 दिनांक 29 मार्च 2007 द्वारा संशोधित प्रतिस्थापित।

[1](ज) "ऑनलाइन आंबटन" से अभिप्रेत है कि प्री.बी.एड. प्रावीण्य सूची के ऐसे उम्मीदवार जो बी.एड.पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित अर्हताएं रखते हैं तथा उन्हें अनुमान है कि उन्हें बी.एड. पाठ्यक्रम हेतु महाविद्यालय आबटित हो सकता है, विकल्प फार्म भरने हेतु निर्धारित केन्द्रों में जाकर ऑनलाइन विकल्प फार्म भरते हैं। ऐसे उम्मीदवारों को प्री.बी.एड.परीक्षा प्रावीण्यता, महाविद्यालय में रिक्त सीटों तथा उनके द्वारा भरे गये महाविद्यालयों के विकल्प के आधार पर महाविद्यालय का आबंटन किया जाता है।

3. **बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश –**

[2](क) **प्री बी.एड. परीक्षा** – सामान्यतया बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश प्री.बी.एड. की प्रावीण्य सूची के आधार पर किए गए ऑनलाइन आबंटन के माध्यम से ही दिया जायेगा।

(ख) मूल निवासी – राज्य के शासकीय तथा अशासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में बी. एड. पाठ्यक्रम की समस्त सीटों पर तथा निजी गैर अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में 80 प्रतिशत सीटों पर केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को ही प्रवेश दिया जाएगा। निजी गैर अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों की 20 प्रतिशत सीटों पर छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को भी प्रवेश दिया जा सकेगा। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी की परिभाषा छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप होगी।

(ग) न्यूनतम आयु–किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा जिसने प्री.बी.एड. परीक्षा के वर्ष की 31 दिसंबर अथवा उसके पूर्व की तिथि में 20 वर्ष की आयु पूर्ण न कर ली हो।

4. **प्री.बी.एड. परीक्षा में सम्मिलित होने की अर्हताएं** – बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए निम्नलिखित अर्हताएँ होंगी –

(क) भारत का नागरिक हो।

[3](ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक/स्नातकोत्तर की उपाधि अथवा समतुल्य किसी अन्य अर्हता में कम से कम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित अंक प्राप्त हो। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/ अन्य पिछड़ा वर्ग एवं संवर्ग के अभ्यार्थियों के लिए 5 प्रतिशत अंकों में छूट की व्यवस्था होगी।ऐसे अभ्यर्थियों को जो त्रिवर्षीय स्नातक या स्नातकोत्तर

---

1. छ.ग. राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग की अधिसूचना क्रं F 5–5/2006/20–एक दिनांक 1 अप्रैल 2010 द्वारा संशोधित प्रतिस्थापित।
2. छ.ग. राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग की अधिसूचना क्रं F 5–5/2006/20–एक दिनांक 1 अप्रैल 2010 द्वारा संशोधित प्रतिस्थापित।
3. [illegible] अगस्त 2010 द्वारा संशोधित प्रतिस्थापित।

(स्नातक प्राप्तांक निर्धारित अंक से कम होने पर) के अंतिम वर्ष की परीक्षा में बैठे हैं, प्री.बी.एड.परीक्षा में प्रोवीजनल प्रवेश दिया जायेगा। परंतु उन्हें ऑनलाइन विकल्प फार्म भरने के समय स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। ऑनलाइन विकल्प फार्म भरते समय ऐसा प्रमाण प्रस्तुत न करने की स्थिति में प्री.बी.एड. परीक्षा की प्रावीण्य सूची में होने पर भी उन्हें बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

5. **बी.एड. पाठ्यक्रम में सीटों का आरक्षण** — बी.एड. पाठ्यक्रम मे उपलब्ध सीटों में वर्टिकल तथा क्षैतिज दोनों प्रकार का आरक्षण होगा। वर्टिकल आरक्षण के लिए श्रेणियाँ होगीं, तथा क्षैतिज आरक्षण के लिए संवर्ग होंगे।

(क) वर्टिकल आरक्षण अथवा श्रेणी—वर्टिकल आरक्षण निम्नानुसार होगा —

(एक) अनुसूचित जाति के लिए 15 प्रतिशत।

(दो) अनुसूचित जनजाति के लिए 21 प्रतिशत।

(तीन) अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के लिए 14 प्रतिशत।

स्पष्टीकरण — अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणियों में आरक्षण का लाभ पाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इन श्रेणियों के जाति प्रमाण के संबंध में समय—समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ख) क्षैतिज आरक्षण अथवा संवर्ग का तात्पर्य है कि यह आरक्षण सभी श्रेणियों की सीटों पर समान रूप से होगा। क्षैतिज आरक्षण निम्नानुसार होगा —

(एक) निःशक्त संवर्ग के लिए 6 प्रतिशत। इस संवर्ग में आरक्षण का लाभ पाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप निःशक्त होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(दो) स्वतंत्रता संग्राम सैनिक संवर्ग श्रेणी के लिए 3 प्रतिशत । इस संवर्ग में आरक्षण का लाभ पाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप स्वतंत्रता संग्राम सैनिक अथवा उनका पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्री होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(तीन) भूतपूर्व सैनिक संवर्ग के लिए 3 प्रतिशत । इस संवर्ग में आरक्षण का लाभ पाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

[1](ग) "उपरोक्त आरक्षण नियम गैर अनुदान प्राप्त अल्पसंख्यक महाविद्यालयों" एवं 'गैर अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में लागू नहीं होंगे।"

6. प्री. बी.एड. परीक्षा –

(क) प्रतिवर्ष बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए एक प्री. बी.एड. परीक्षा आयोजित की जाएगी।

(ख) राज्य शासन आदेश द्वारा प्री.बी.एड. परीक्षा आयोजित करने की एजेंसी नियुक्त करेगा। राज्य शासन किसी भी समय इस हेतु किए गए आदेश द्वारा एजेंसी बदल सकेगा।

(ग) प्री बी.एड. परीक्षा में एक ही प्रश्न प्रत्र होगा। अंकों का विभाजन निम्नानुसार होगा –

1. सामान्य मानसिक योग्यता – 30 प्रतिशत।
2. सामान्य ज्ञान – 20 प्रतिशत।
3. सामान्य अभिरूचि – 30 प्रतिशत।
4. सामान्य हिन्दी – 10 प्रतिशत।
5. सामान्य अंग्रेजी – 10 प्रतिशत।

(घ) केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जायेंगे।

(ड.) निगेटिव मार्किंग नहीं होगी।

(च) प्री. बी.एड. परीक्षा में पुर्नमूल्यांकन तथा अंकों की पुनर्गणना नही की जाएगी।

7. प्रावीण्य सूची – प्री. बी.एड. परीक्षा के प्राप्ताकों के आधार पर परीक्षा लेने वाली एजेंसी द्वारा अनुसूचित जाति श्रेणी, अनुसूचित जनजाति श्रेणी, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी तथा अनारक्षित श्रेणी की पृथक–पृथक प्रावीण्य सूचियाँ तैयार की जायेंगी। अनारक्षित श्रेणी की प्रावीण्य सूची में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) तथा सामान्य सभी जातियों को शामिल किया जाएगा। प्रावीण्य सूचियाँ छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों तथा अन्य अभ्यार्थियों के लिए पृथक–पृथक बनाई जायेंगी। प्रावीण्य सूची में अभ्यर्थी का वर्ग भी अंकित किया जायेगा। समान प्राप्तांक होने पर भी अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को प्रावीण्यता क्रम में उपर रखा जाएगा।

---

1. छ.ग. राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग की अधिसूचना क्रं F 5–5/2006/20–एक दिनांक 1 अप्रैल 2010 द्वारा संशोधित प्रतिस्थापित।

[1] **8. ऑनलाइन आबंटन–**

(क) प्रावीण्य सूची की घोषणा के पश्चात् संस्थाओं में प्रवेश ऑनलाइन आबंटन विधि से किया जावेगा।

(ख) ऑनलाइन विकल्प फार्म भरते समय उम्मीदवार आवश्यक मूल प्रमाण–पत्रों/दस्तावेजों तथा 350/– रू. (अक्षरी– तीन सौ पचास रूपये मात्र) के रेखांकित बैंक ड्राफ्ट संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के नाम से रायपुर में देय के साथ निर्धारित केन्द्र में स्वयं के व्यय से उपस्थित होंगे। इन केन्द्रों में अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की प्रारंभिक जांच होगी।

(ग) ऑनलाइन फार्म भरने की सूचना एवं केन्द्रों की सूची राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के वेबसाइट तथा राज्य के दो प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किये जायेंगे।

(घ) अभ्यर्थी केवल उन्हीं महाविद्यालयों का विकल्प चुने जहां वे प्रवेश लेना चाहते हैं।

(ङ.) अभ्यर्थियों को महाविद्यालय का आबंटन उसके द्वारा दिये गये ऑनलाइन विकल्प (संस्था को दी गई प्राथमिकता) प्री.बी.एड. परीक्षा में उसका प्रावीण्यता क्रम तथा सीटों की उपलब्धता के आधार पर संचालक द्वारा किया जायेगा।

(च) सीट आबंटन की सूची राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के वेबसाइट पर तथा जिस केन्द्र में अभ्यर्थी ने विकल्प फार्म भरा है उसी केन्द्र पर उपलब्ध होगी। सीट्स आबंटन की सूचना डाक द्वारा अभ्यर्थी को नहीं दी जायेगी।

(छ) ऑनलाइन आबंटन के पश्चात् निर्धारित समय अवधि में अभ्यर्थी या तो आबंटित संस्था में जाकर प्रवेश ले अथवा अपना आबंटन निर्धारित कालावधि समाप्त होने के पहले निरस्त कराकर नया विकल्प फार्म उसी केन्द्र में जहां पहले फार्म भरा था, ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। इसके लिए निर्धारित राशि पुनः जमा करनी होगी अन्यथा ऐसा नहीं करने पर अभ्यर्थी का महाविद्यालय आबंटन निर्धारित समयावधि के पश्चात् स्वयमेव निरस्त हो जायेगा तथा उस अभ्यर्थी को आगे की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। पुनः विकल्प फार्म भरने वाले अभ्यर्थी को रिक्त सीटों के लिए महाविद्यालय आंबटन अगली सूची जारी करते समय किया जावेगा।पुनः विकल्प फार्म भरने का यह अवसर केवल एक बार के लिए होगा।

(ज) महाविद्यालय द्वारा अभ्यर्थी के मूल दस्तावेजों को जांचकर प्रवेश दिया जायेगा। अगर मूल दस्तावेजों में कोई कमी या त्रुटि पाई जाती है तो उसका चयन निरस्त कर दिया जायेगा। ऑनलाइन आबंटन के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में संचालक का निर्णय अंतिम होगा।

9. **आरक्षित संवर्ग के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में प्रवेश** – आरक्षित संवर्ग के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में इन संवर्गों के लिए आरक्षित सीटों को उसी श्रेणी की अनारक्षित सीटों में परिवर्तित कर दिया जाएगा।

1. छ.ग. राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग की अधिसूचना क्रं F 5–5/2006/20–एक दिनांक 1 अप्रैल 2010 द्वारा संशोधित प्रति स्थापित।

10. आरक्षित श्रेणी के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में प्रवेश–किसी भी आरक्षित श्रेणी में पर्याप्त अभ्यर्थी न होने की दशा में प्रवेश निम्नानुसार दिया जाएगा –

(क) अनुसूचित जाति श्रेणी के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में इस श्रेणी के लिए आरक्षित सीटें अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी।

(ख) अनुसूचित जनजाति श्रेणी के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में इस श्रेणी के लिए आरक्षित सीटें अनुसूचित जाति श्रेणी के अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी।

(ग) अनुसूचित जाति श्रेणी अनुसूचित जनजाति श्रेणी दोनो के ही पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में इन श्रेणियों के लिए आरक्षित सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी।

(घ) अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में इस श्रेणी के लिए आरक्षित सीटें पहले अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों से और बाद में भी सीटें रिक्त रहने पर अनुसूचित जाति श्रेणी के अभ्यार्थियो से भरी जाएंगी।

(ड.) सभी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में ही आरक्षित सीटें अनारक्षित की जायेंगी।

11. छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या उपलब्ध न होने की दशा में प्रवेश –
इन नियमों में जो सीटें छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों से ही भरी जाना अनिवार्य हैं, उन सीटों के लिए पर्याप्त संख्या में छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में यह सीटें भी अन्य अभ्यर्थियों से भरी जा सकेंगी।

12. प्रवेश का निरस्तीकरण – यदि यह पाया जात है कि अभ्यर्थी के महाविद्यालय में प्रवेश पाने के पीछे किसी झूठी या गलत सूचना का आधार था अथवा उसने कोई प्रारंभिक तथ्य छुपाया था, अथवा प्रवेश के बाद की अवधि में यह पता चलता है कि उसे किसी त्रुटि अथवा चूक के कारण प्रवेश मिल गया था तो ऐसी अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश उसके अध्ययन की अवधि में बिना किसी पूर्वसूचना के संस्था प्रमुख द्वारा निरस्त किया जा सकेगा। प्रवेश को लेकर किसी भी विवाद अथवा संदेह की स्थिति में राज्य शासन का निर्णय अंतिम होगा।

13. महाविद्यालय की फीस – सभी महाविद्यालयों को इस संबंध में राज्य शासन के सामान्य निर्देशों के अध्यधीन रहते हुए अपनी फीस निर्धारित करने का अधिकार होगा।

परंतु यह कि महाविद्यालय अपनी फीस इस प्रकार निर्धारित करेंगे, कि फीस अत्यधिक लाभ कमाने का जरिया न बन जाए। फीस का निर्धारण महाविद्यालयों को अपनी अधोसंरचनाओं एवं मानव संसाधनों पर किए जाने वाले व्यय के अनुरूप करना होगा तथा वे इसकी एक लेखा परीक्षित विवरणी राज्य शासन को सौपेगें तथा सार्वजनिक रूप से आम जनता को सूचना के लिए प्रदेश के कम कम से दो समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करेंगे।

परंतु यह भी कि महाविद्यालयों को प्री.बी.एड. परीक्षा का प्रास्पेक्ट्स छापने के पूर्व अपनी फीस प्री.बी.एड. एजेंसी तथा राज्य शासन को लिखित में सूचित करनी होंगी, ताकि फीस की जानकारी प्रास्पेक्ट्स में छापी जा सके।

परंतु यह भी कि एक बार किसी अभ्यर्थी को प्रवेश देने के पश्चात् उस अभ्यर्थी के लिए फीस बढ़ाई नहीं जा सकेगी।

14. **नियमों की व्याख्या** — प्रवेश हेतु अभ्यार्थियों के चयन के संबंधित सभी नीतिगत प्रश्नों का निर्णय करने के लिए राज्य शासन अंतिम रूप से प्राधिकारी होगा। यदि प्रवेश के इन नियमों की व्याख्या से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो राज्य शासन का निर्णय अंतिम तथा बंधनकारी होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(डॉ. आलोक शुक्ला)
सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

Fee Concession and Educational Help in COVID-19 period

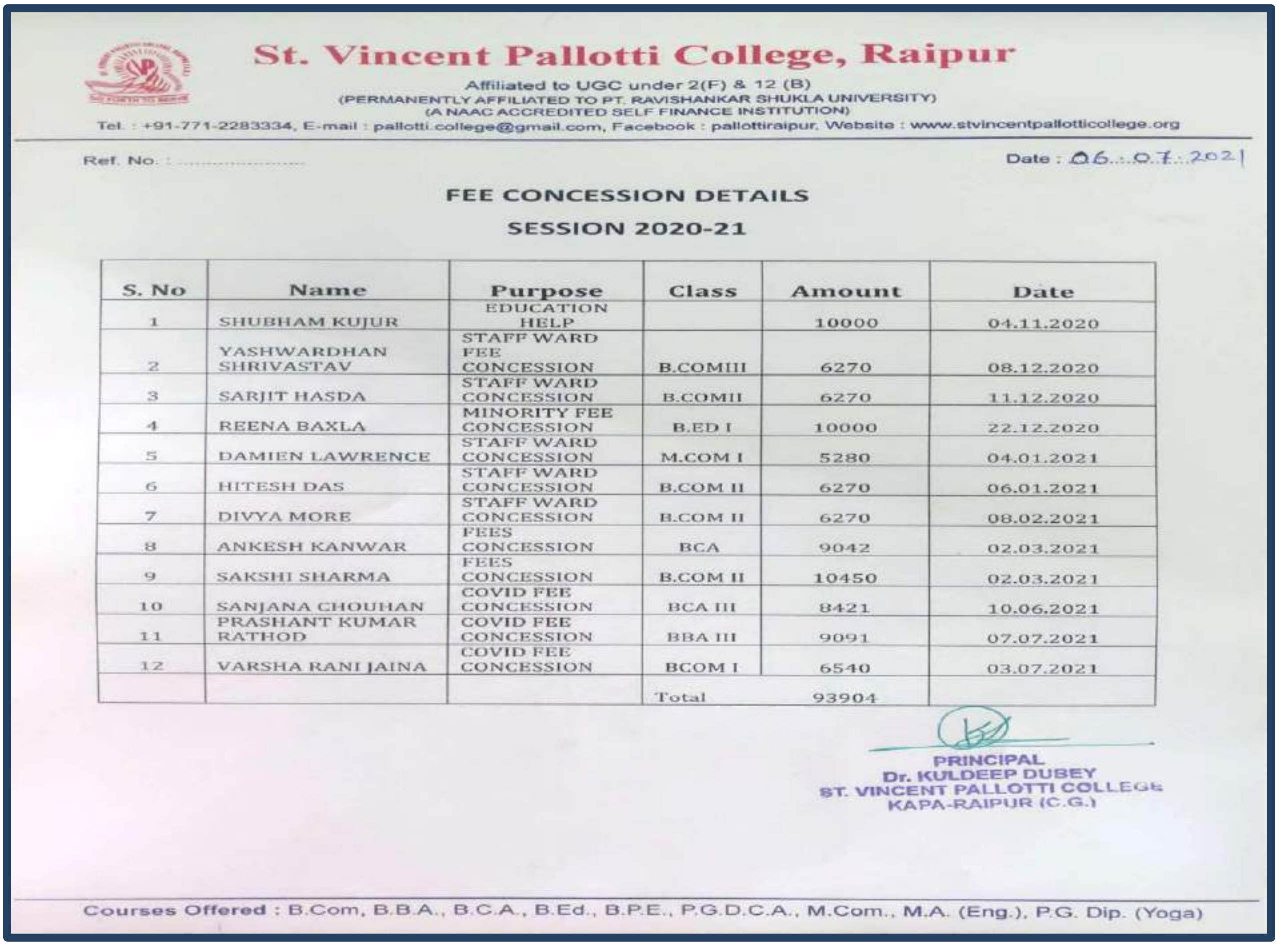

St. Vincent Pallotti College, Raipur

Affiliated to UGC under 2(F) & 12 (B)
(PERMANENTLY AFFILIATED TO PT. RAVISHANKAR SHUKLA UNIVERSITY)
(A NAAC ACCREDITED SELF FINANCE INSTITUTION)
Tel. : +91-771-2283334, E-mail : pallotti.college@gmail.com, Facebook : pallottiraipur, Website : www.stvincentpallotticollege.org

Ref. No. : .... Date : 06.07.2021

FEE CONCESSION DETAILS

SESSION 2020-21

S. No	Name	Purpose	Class	Amount	Date
1	SHUBHAM KUJUR	EDUCATION HELP		10000	04.11.2020
2	YASHWARDHAN SHRIVASTAV	STAFF WARD FEE CONCESSION	B.COMIII	6270	08.12.2020
3	SARJIT HASDA	STAFF WARD CONCESSION	B.COMII	6270	11.12.2020
4	REENA BAXLA	MINORITY FEE CONCESSION	B.ED I	10000	22.12.2020
5	DAMIEN LAWRENCE	STAFF WARD CONCESSION	M.COM I	5280	04.01.2021
6	HITESH DAS	STAFF WARD CONCESSION	B.COM II	6270	06.01.2021
7	DIVYA MORE	STAFF WARD CONCESSION	B.COM II	6270	08.02.2021
8	ANKESH KANWAR	FEES CONCESSION	BCA	9042	02.03.2021
9	SAKSHI SHARMA	FEES CONCESSION	B.COM II	10450	02.03.2021
10	SANJANA CHOUHAN	COVID FEE CONCESSION	BCA III	8421	10.06.2021
11	PRASHANT KUMAR RATHOD	COVID FEE CONCESSION	BBA III	9091	07.07.2021
12	VARSHA RANI JAINA	COVID FEE CONCESSION	BCOM I	6540	03.07.2021
			Total	93904	

PRINCIPAL
Dr. KULDEEP DUBEY
ST. VINCENT PALLOTTI COLLEGE
KAPA-RAIPUR (C.G.)

Courses Offered : B.Com, B.B.A., B.C.A., B.Ed., B.P.E., P.G.D.C.A., M.Com., M.A. (Eng.), P.G. Dip. (Yoga)

Consolidated fee concession details

Sample Vouchers:

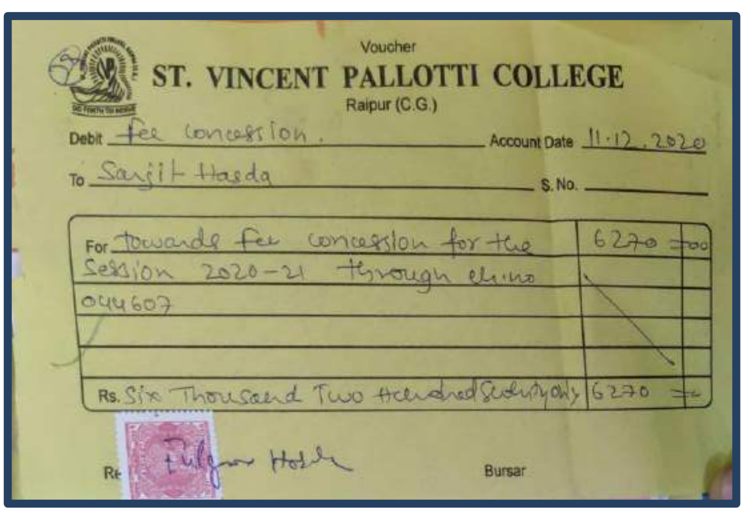

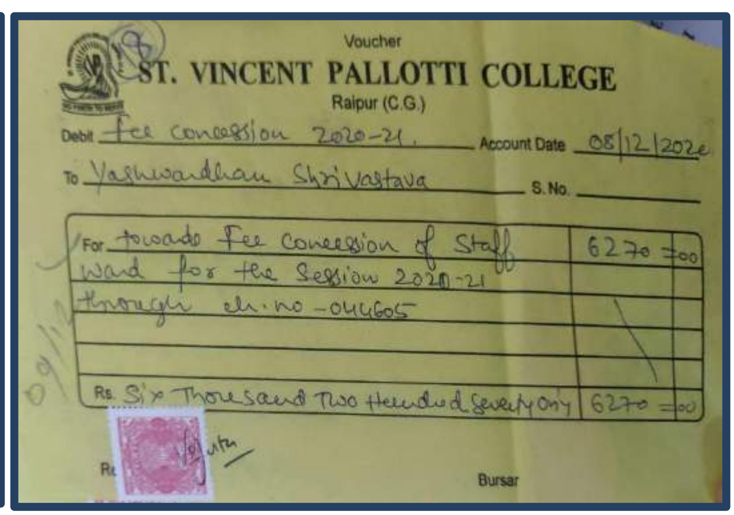

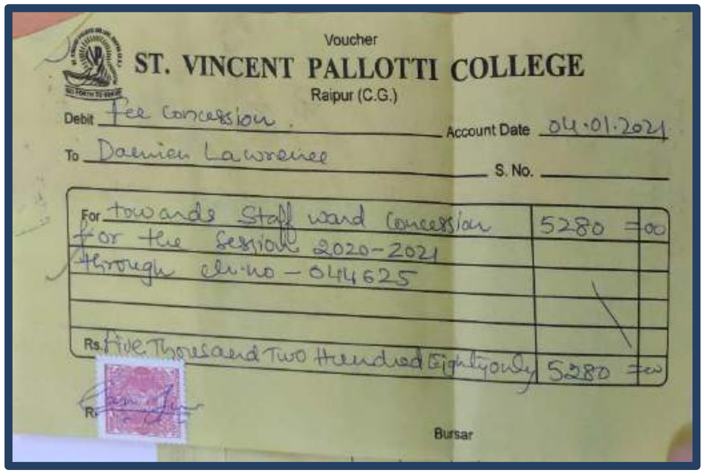

Voucher

ST. VINCENT PALLOTTI COLLEGE

Raipur (C.G.)

Debit: Fee Concession. Account Date: 04.01.2021

To: Damien Lawrence S. No.

For: towards Staff ward Concession for the Session 2020-2021 through ch.no – 044625 — 5280=00

Rs. Five Thousand Two Hundred Eighty only — 5280=00

Rec.

Bursar

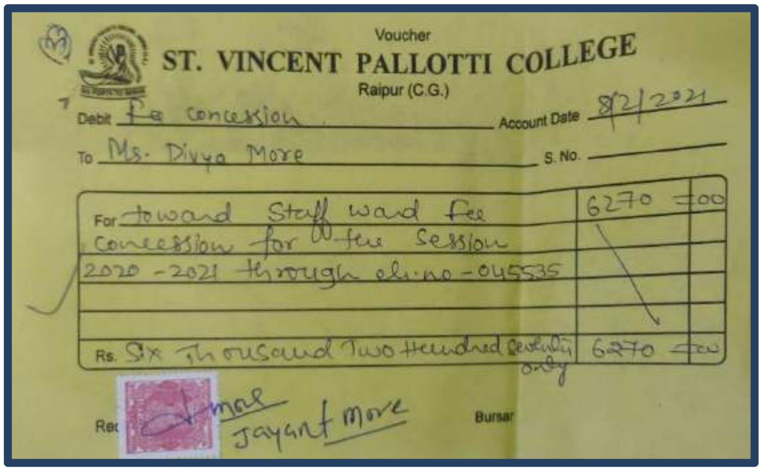

Voucher

ST. VINCENT PALLOTTI COLLEGE

Raipur (C.G.)

Debit: Fee concession. Account Date: 8/2/2021

To: Ms. Divya More S. No.

For: toward Staff ward fee concession for the fee session 2020-2021 through ch.no-045535 — 6270=00

Rs. Six Thousand Two Hundred Seventy only — 6270=00

Rec. Jayant More

Bursar

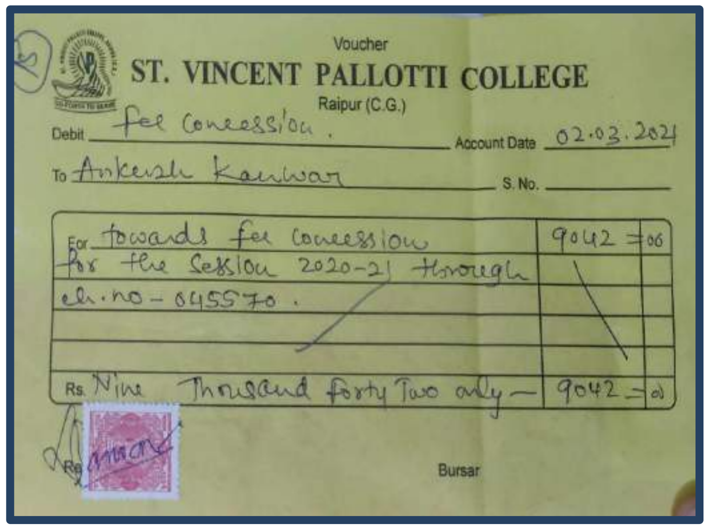

Voucher

ST. VINCENT PALLOTTI COLLEGE

Raipur (C.G.)

Debit: Fee Concession. Account Date: 02.03.2021

To: Ankesh Kanwar S. No.

For: towards fee concession for the Session 2020-21 through ch.no – 045570. — 9042=00

Rs. Nine Thousand forty Two only — 9042=00

Rec.

Bursar

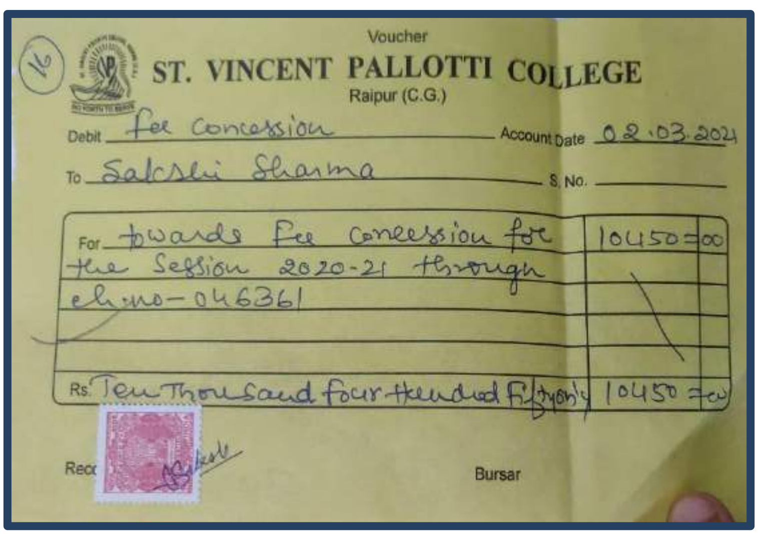

Voucher

ST. VINCENT PALLOTTI COLLEGE

Raipur (C.G.)

Debit: fee Concession. Account Date: 02.03.2021

To: Sakshi Sharma S. No.

For: towards Fee Concession for the Session 2020-21 through ch.no – 046361 — 10450=00

Rs. Ten Thousand four Hundred Fifty only — 10450=00

Rec.

Bursar

CELEBRATION OF HINDI DIWAS

NOTICE

ST. VINCENT PALLOTTI COLLEGE, RAIPUR

Special Days Celebration Committee

Notice

2020-2021

This is to inform all that an online Essay Writing Competition is scheduled by Special day's celebration committee on 14th September 2020 on the occasion of Hindi Diwas at 11:00 AM. Zoom link will be shared 15 minutes before to all the class groups. All the students of various departments are requested to be present.

Dr. KULDEEP DUBEY
PRINCIPAL
ST. VINCENT PALLOTTI COLLEGE
KAPA RAIPUR (C.G.)
Principal

Convener

REPORT

ST. VINCENT PALLOTTI COLLEGE, KAPA, RAIPUR (C.G.)

SPECIAL DAYS & STAFF ASSOCIATION COMMITTEE

2020-21

ONLINE ESSAY WRITING COMPETITION ON HINDI DIWAS.

Report

India is a place where numerous religions and languages flourish and amongst all the language Hindi is widely spoken in India. Hindi was adopted as the official language of the country on 14 September 1949. Every year this day is celebrated as Hindi Diwas in the country.

Various activities have been organized by the Special Days & Staff Association Committee on Hindi Diwas. This year also an online Essay Writing competition on the topic "Hindi Ka Mahatva" was organized on the occasion of Hindi Diwas for the students. The activity was held on 14th September, 2020.

A large number of students from all the departments participated in this activity. The activity was a great success.

Dr. KULDEEP DUBEY
PRINCIPAL
ST. VINCENT PALLOTTI COLLEGE
KAPA RAIPUR (C.G.)
Principal

Convener

YOGA FOR WELLNESS

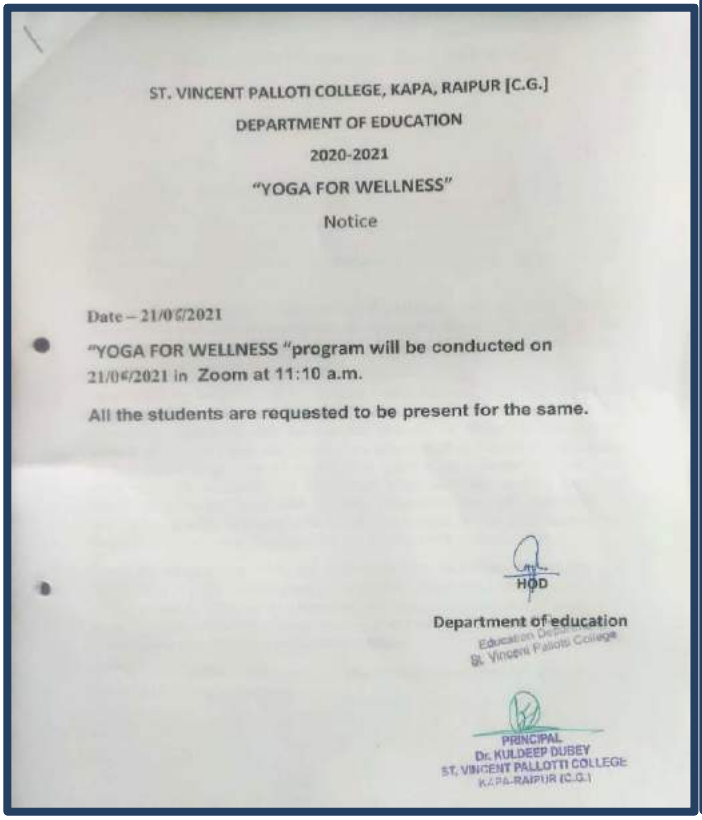

ST. VINCENT PALLOTI COLLEGE, KAPA, RAIPUR [C.G.]

DEPARTMENT OF EDUCATION

2020-2021

"YOGA FOR WELLNESS"

Notice

Date – 21/06/2021

"YOGA FOR WELLNESS "program will be conducted on 21/06/2021 in Zoom at 11:10 a.m.

All the students are requested to be present for the same.

HOD

Department of education

PRINCIPAL
Dr. KULDEEP DUBEY
ST. VINCENT PALLOTTI COLLEGE
KAPA-RAIPUR (C.G.)

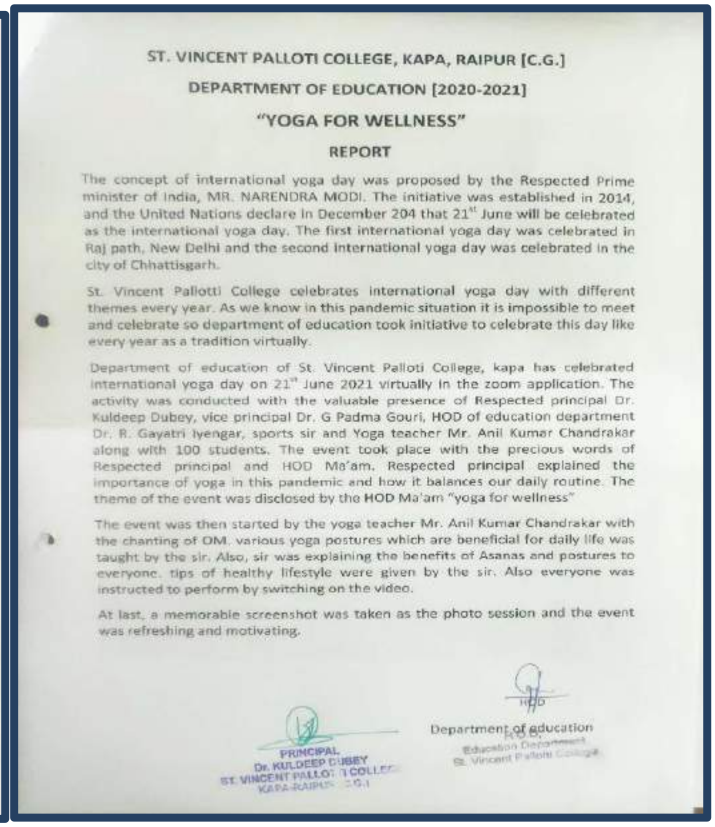

ST. VINCENT PALLOTI COLLEGE, KAPA, RAIPUR [C.G.]

DEPARTMENT OF EDUCATION [2020-2021]

"YOGA FOR WELLNESS"

REPORT

The concept of international yoga day was proposed by the Respected Prime minister of India, MR. NARENDRA MODI. The initiative was established in 2014, and the United Nations declare in December 204 that 21st June will be celebrated as the international yoga day. The first international yoga day was celebrated in Raj path, New Delhi and the second international yoga day was celebrated in the city of Chhattisgarh.

St. Vincent Pallotti College celebrates international yoga day with different themes every year. As we know in this pandemic situation it is impossible to meet and celebrate so department of education took initiative to celebrate this day like every year as a tradition virtually.

Department of education of St. Vincent Palloti College, kapa has celebrated international yoga day on 21st June 2021 virtually in the zoom application. The activity was conducted with the valuable presence of Respected principal Dr. Kuldeep Dubey, vice principal Dr. G Padma Gouri, HOD of education department Dr. R. Gayatri Iyengar, sports sir and Yoga teacher Mr. Anil Kumar Chandrakar along with 100 students. The event took place with the precious words of Respected principal and HOD Ma'am. Respected principal explained the importance of yoga in this pandemic and how it balances our daily routine. The theme of the event was disclosed by the HOD Ma'am "yoga for wellness"

The event was then started by the yoga teacher Mr. Anil Kumar Chandrakar with the chanting of OM. various yoga postures which are beneficial for daily life was taught by the sir. Also, sir was explaining the benefits of Asanas and postures to everyone. tips of healthy lifestyle were given by the sir. Also everyone was instructed to perform by switching on the video.

At last, a memorable screenshot was taken as the photo session and the event was refreshing and motivating.

PRINCIPAL
Dr. KULDEEP DUBEY
ST. VINCENT PALLOTTI COLLEGE
KAPA-RAIPUR (C.G.)

HOD

Department of education

Notice, Report & Photograph of Yoga for Wellness

DYNAMIC FOLK DRILLERS: A DANCE COMPETITION

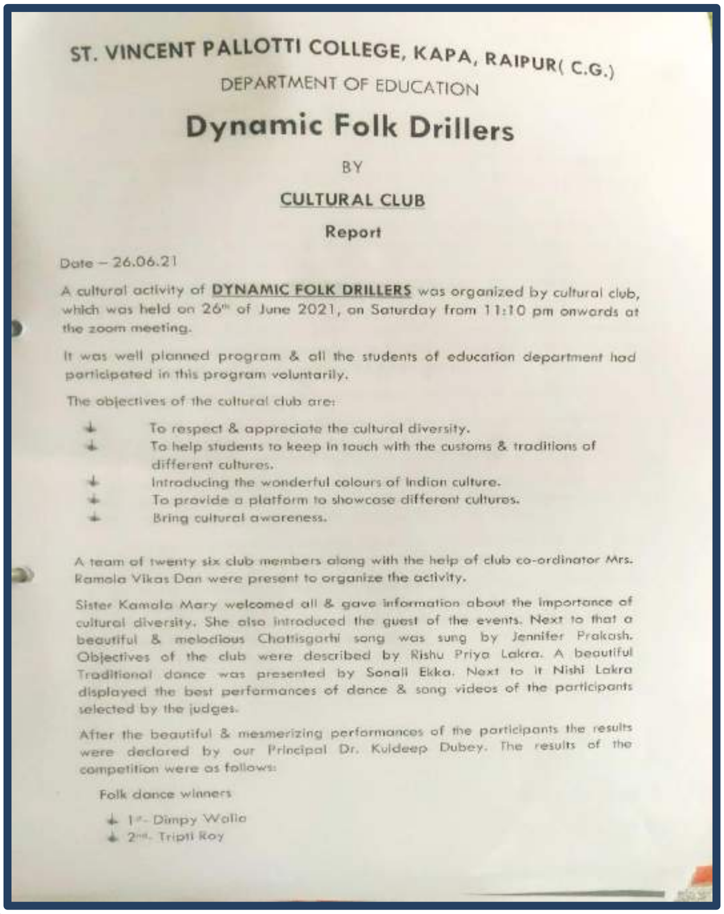

ST. VINCENT PALLOTTI COLLEGE, KAPA, RAIPUR(C.G.)

DEPARTMENT OF EDUCATION

Dynamic Folk Drillers

BY

CULTURAL CLUB

Report

Date – 26.06.21

A cultural activity of **DYNAMIC FOLK DRILLERS** was organized by cultural club, which was held on 26th of June 2021, on Saturday from 11:10 pm onwards at the zoom meeting.

It was well planned program & all the students of education department had participated in this program voluntarily.

The objectives of the cultural club are:

- To respect & appreciate the cultural diversity.
- To help students to keep in touch with the customs & traditions of different cultures.
- Introducing the wonderful colours of Indian culture.
- To provide a platform to showcase different cultures.
- Bring cultural awareness.

A team of twenty six club members along with the help of club co-ordinator Mrs. Ramola Vikas Dan were present to organize the activity.

Sister Kamala Mary welcomed all & gave information about the importance of cultural diversity. She also introduced the guest of the events. Next to that a beautiful & melodious Chattisgarhi song was sung by Jennifer Prakash. Objectives of the club were described by Rishu Priya Lakra. A beautiful Traditional dance was presented by Sonali Ekka. Next to it Nishi Lakra displayed the best performances of dance & song videos of the participants selected by the judges.

After the beautiful & mesmerizing performances of the participants the results were declared by our Principal Dr. Kuldeep Dubey. The results of the competition were as follows:

Folk dance winners

- 1st- Dimpy Walia
- 2nd- Tripti Roy

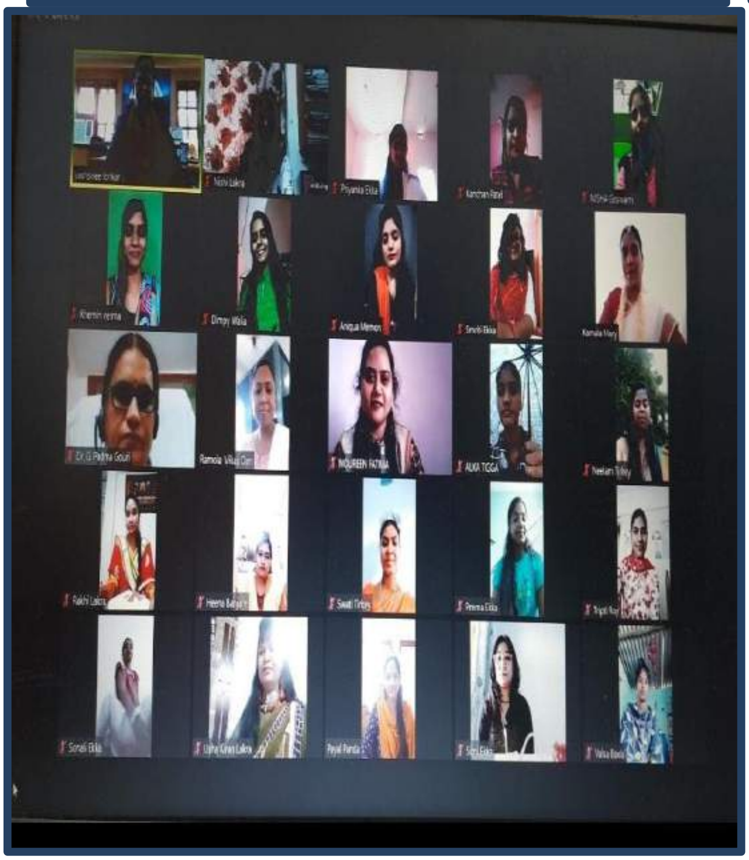

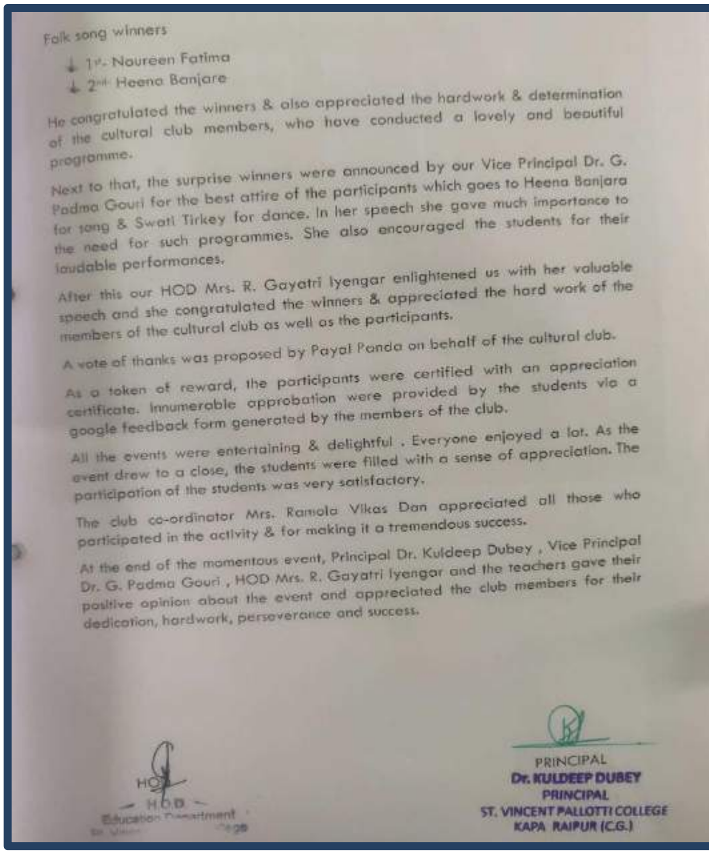

Folk song winners

- 1st- Noureen Fatima
- 2nd- Heena Banjare

He congratulated the winners & also appreciated the hardwork & determination of the cultural club members, who have conducted a lovely and beautiful programme.

Next to that, the surprise winners were announced by our Vice Principal Dr. G. Padma Gouri for the best attire of the participants which goes to Heena Banjara for song & Swati Tirkey for dance. In her speech she gave much importance to the need for such programmes. She also encouraged the students for their laudable performances.

After this our HOD Mrs. R. Gayatri Iyengar enlightened us with her valuable speech and she congratulated the winners & appreciated the hard work of the members of the cultural club as well as the participants.

A vote of thanks was proposed by Payal Panda on behalf of the cultural club.

As a token of reward, the participants were certified with an appreciation certificate. Innumerable approbation were provided by the students via a google feedback form generated by the members of the club.

All the events were entertaining & delightful . Everyone enjoyed a lot. As the event drew to a close, the students were filled with a sense of appreciation. The participation of the students was very satisfactory.

The club co-ordinator Mrs. Ramola Vikas Dan appreciated all those who participated in the activity & for making it a tremendous success.

At the end of the momentous event, Principal Dr. Kuldeep Dubey , Vice Principal Dr. G. Padma Gouri , HOD Mrs. R. Gayatri Iyengar and the teachers gave their positive opinion about the event and appreciated the club members for their dedication, hardwork, perseverance and success.

HOD
H.O.D
Education Department

PRINCIPAL
Dr. KULDEEP DUBEY
PRINCIPAL
ST. VINCENT PALLOTTI COLLEGE
KAPA RAIPUR (C.G.)

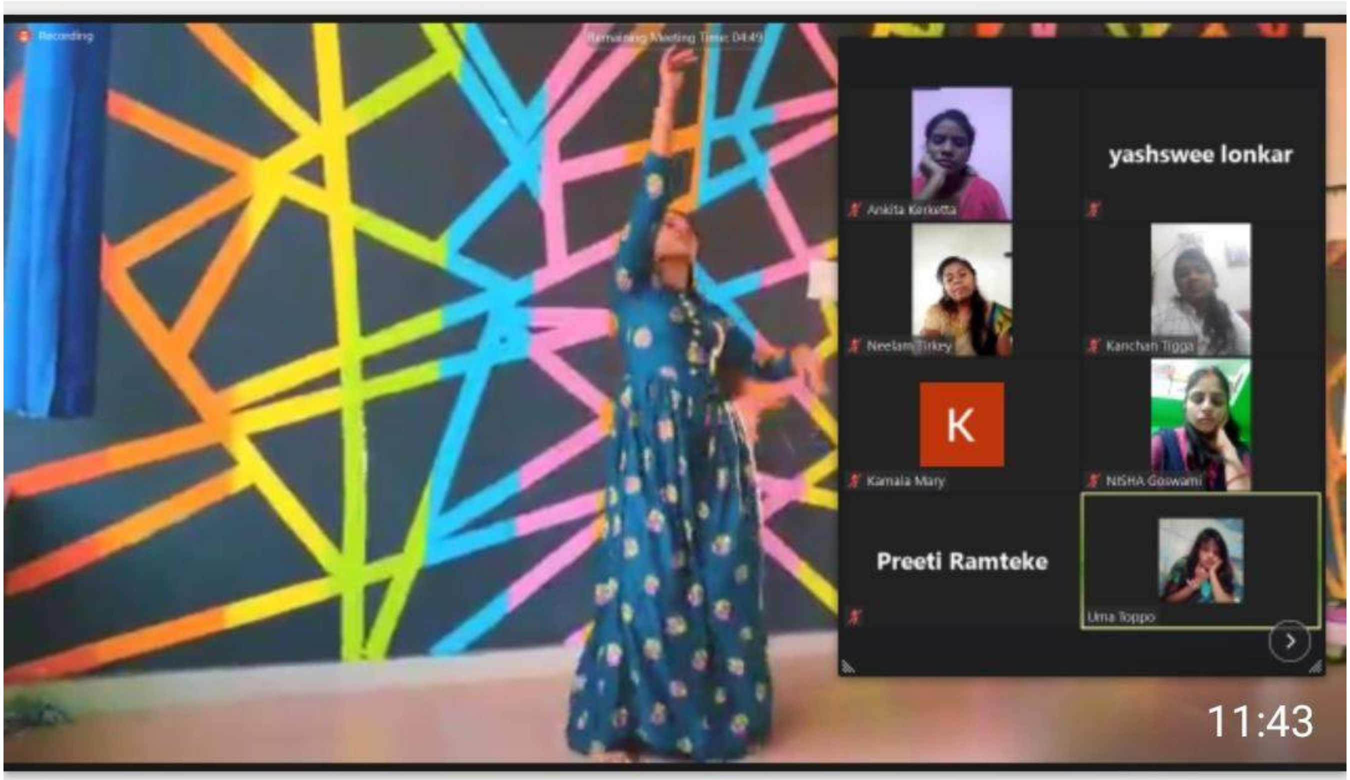

Notice, Report and Photograph of Online Dance Competition